न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 25/2019 दिनांक–20.11.2019

पवन कुमार उर्फ पालाराम पुत्र जगनाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–अप्रार्थी

वकील वादी : – श्री विप्लव पंडित
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र : अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 29.11.2019

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बड़वासी की सरहद में नई खाता संख्या 218 की भूमि खसरा नम्बर 511 रकबा 2.53 हैक्टर स्थित है, जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है अर्थात उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि प्रार्थी की अनन्य खातेदारी काश्तकारी की भूमि है, जिसके संबंध में प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित ग्राम बड़वासी की सरहद में नई खाता संख्या 218 की भूमि खसरा नम्बर 511 रकबा 2.53 हैक्टर भूमि को प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है, जिनका कोई विवाद नही है, परन्तु उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलती व सहवन सें पालाराम दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थी का सही नाम पवन कुमार है। प्रार्थी को बचपन से पालाराम के नाम से पुकारते थे, इस कारण भूलवंश पालाराम दर्ज हो गया, जबकि सही व वास्तविक नाम पवन कुमार ही है। प्रार्थी के परिवार के राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, बच्चों के शिक्षा के रिकार्ड्स व दस्तावेजात में भी पवन कुमार ही नाम ही दर्ज है, कहीं भी पालाराम दर्ज नही है, मात्र प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम बड़वासी की सरहद में नई खाता संख्या 218 की भूमि खसरा नम्बर 511 रकबा 2.53 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में ही पालाराम दर्ज है, जिसकों सही व दुरूस्त किया जाना न्यायाचित व आवश्यक है। गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, प्रार्थी कई

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

सरकारी सुविधाओं से वंचित है, इसलिये प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि के राजस्व रिकार्ड में पालाराम पुत्र जगनाराम के स्थान पर पवन कुमार पुत्र जगनाराम दुरूस्त किया जावे, जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामें पेश है। उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का श्रीमान को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस 2/– रूपये पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारक है तथा श्रीमान के आदेश की पालना करने के लिये दायित्वधीन है, इसलिये इन्हे बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार संयोजित किया गया है ताकि प्रार्थना पत्र में कानूनी खामी नही रहे।

प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि राजस्व ग्राम बड़वासी की सरहद में नई खाता संख्या 218 की भूमि खसरा नम्बर 511 रकबा 2.53 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नामा पालाराम पुत्र जगनाराम के स्थान पर पवन कुमार पुत्र जगनाराम दुरूस्त किया जावे, जिसके लिये अप्रार्थी संख्या 1 को तहरीर जारी की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदक की गई। अनावेदक राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर सहमति प्रदान की है तथा प्रार्थी के परिवार के राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, बच्चों के शिक्षा के रिकार्ड्स व दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम पवन पुत्र जगनाराम अंकित है। अतः राज. पैरोकार की सहमति एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अवलोन से प्रार्थी का पवन कुमार पुत्र जगनाराम ही सही नाम है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम बड़वासी की सरहद में नई खाता संख्या 218 की भूमि खसरा नम्बर 511 रकबा 2.53 हैक्टर में प्रार्थी का नाम पालाराम पुत्र जगनाराम के स्थान पर पवन कुमार पुत्र जगनाराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है, तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/19

(मुरलीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.12.01 16:28:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: